

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी— श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० — तारीख दायर तारीख फैसला
26/2018/प्रार्थना पत्र 08.02.2018 28.02.2018

उनवान

घीसी पत्नि अलादीन नीलगर निवासी कोठियों तह० फूलियाकलां

— प्रार्थिया

बनाम

- 1— सलीम पिता सुवा पिनारा निवासी कोठियों तह० फूलियाकलां
- 2— सांवरा पिता रामा बैरवा निवासी कोठियों तह० फूलियाकलां
- 3— राधा पत्नि कल्याण बैरवा निवासी कोठियों तह० फूलियाकलां
- 4— लादूलाल पाटनी निवासी कोठियों तह० फूलियाकलां

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्री राजेश वर्मा : अधिवक्ता प्रार्थिया

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा — 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम कोठियों पटवार हल्का कोठियों तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थिया की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 267 आ०न० 214 रकबा 0.50 है, आ०न० 218 रकबा 0.14 है०, आ०न० 4893/214 रकबा 0.01 कुल किता 03 रकबा 0.65 है० स्थित है। पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं० 1 व 4 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थिया की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 28.02.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नहीं हुये। अतः दिनांक 28.02.2018 को विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थिया के अभिभाषक ने बहस करनी चाही जिससे उनकी एक तरफा बहस सुनी गई। बहस में अभिभाषक प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम कोठियों पटवार मण्डल कोठियों संवत् 2072 से 75 के खाता संख्या 267 आ०न० 214 रकबा 0.50 है, आ०न० 218 रकबा 0.14 है०, आ०न० 4893/214 रकबा 0.01 कुल किता 03 रकबा 0.65 है० की प्रार्थिया खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कोठियों पटवार हल्का कोठियों तहसील फूलियाकलां में प्रार्थिया की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 267 आ०न० 214 रकबा 0.50 है, आ०न० 218 रकबा 0.14 है०, आ०न० 4893/214 रकबा 0.01 कुल किता 03 रकबा 0.65 है० की प्रार्थिया के खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय में प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी में ऑफ सीजन में पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 300/- (अक्षरे तीन रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थिया से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



आदेश आज दिनांक 28.02.2018 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।



[Handwritten signature]

(भंवरलाल कांसोटिया)

आर०ए०एस०

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकला (भीलवाडा)

सहायक कलेक्टर
फूलिया कला, जिला - मेरठ

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकला पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

[Handwritten signature]

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकला (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

फूलिया कला, जिला - मेरठ